अल्पसंख्यकों का कल्याण

*302. श्री कुमकुम राय: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री एआर अंतुले): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 1983 से प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है। प्रतिलिपि अनुबंध के रूप में संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) यह 15-सूत्री कार्यक्रम त्रिआयामी दृष्टिकोण पर आधारित है अर्थात् (1) साम्प्रदायिक तनाव की रोकथाम और साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति में कठोर कार्रवाई; (2) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों और साथ ही पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नौकरियों में अल्पसंख्यकों के संबंध में विशेष रूप से विचार; और (3) अन्य उपाय जैसे - विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उचित और पर्याप्त प्रसुविधाएं।

यह कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस समय एक नये 15-सूत्री कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त सत्र के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम

1. साम्प्रदायिक दंगे:

(1) ऐसे क्षेत्रों में अत्यधिक कार्यकुशल, पक्षपात रहित और पंथ निरपेक्ष छवि वाले जिला और पुलिस अधिकारी तैनात किए जाने चाहिए, जिन्हें साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील और संभावित क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है ऐसे क्षेत्रों में और कभी दूसरे क्षेत्रों में भी, साम्प्रदायिक तनाव की रोकथाम करना जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के

प्राथमिक कर्त्तव्य में से होना चाहिए। इस संबंध में इनका कार्य निष्पादन इनके प्रोन्नति अवसरों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक हो।

(2) जिला और पुलिस अधिकारियों द्वारा इस संबंध में किए गए अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

(2) उन सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाया है अथवा साम्प्रदायिक हिंसा में भाग लिया है।

(4) साम्प्रदायिक अपराधों के विचारण के लिए विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट न्यायालयों अथवा विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जा सके।

(5) साम्प्रदाधिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए तथा उनके पुनर्वास के लिए अविलंब और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

(6) ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, साम्प्रदायिक सौहार्द्र और शांति बहाल करने में रेडियो और टी वी भी अवश्य मदद करें।

(7) यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रेस के कतिपय वर्ग पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और आपत्तिजनक एवं भड़काऊ सामग्री के प्रकाशन में लिप्त रहते हैं, जिससे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता है। सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक और अन्य संबंधित व्यक्ति ऐसी सामग्री के प्रकाशन से बचने के उपाय ढूढ़ने में सहयोग करेंगे।

(2) राज्य और केन्द्रीय सेवाओं के लिए भर्ती

(8) पुलिस कार्मिकों की भर्ती में, राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों पर विशेष रूप से विचार करने की सलाह दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए चयन समितियों की संरचना में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(9) केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों की भर्ती में इसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए।

(10) रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंको और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा व्यापक पैमाने पर रोजगार सुविधाएं दी जाती हैं। इस प्रकार के मामलों में भी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करे कि भर्ती में अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाता है।

(11) अनेक क्षेत्रों में भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। ऐसी परीक्षाओं में

समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धी बनने की शैक्षिक व्यवस्था का लाभ उठाने में अक्सर अल्पसंख्यक वर्ग नाकाम हो जाते हैं। इस प्रकार की परेशानियों से निपटने में उनकी मदद करने के लिए, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में कोचिंग कक्षाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि इन परीक्षाओं में स्पर्धा करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सके।

(12) उन अल्पसंख्यकों, जो आज पिछड़ रहे हैं, द्वारा तकनीकी कौशल प्राप्त करने से भी राष्ट्रीय विकास में मदद मिलेगी। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकार अथवा निजी एजेंसियों द्वारा आई॰ टी॰ आई॰ और पालीटेक्निक स्थापित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि इन संस्थाओं में इन समुदायों के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(3) अन्य उपाय

(15) बीस सूत्री कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों में, यह देखने की सावधानी बरती जानी चाहिए कि विकास कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभ अल्पसंख्यकों को समुचित और पर्याप्त रूप से मिले। ऐसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जो विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की जाती हैं, उनमें इन समुदायों के सदस्यों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

(14) उपर्युक्त सामान्य मुद्दों के अलावा, कुछ स्थानीय समस्याएं होती हैं, जो बिना बजह उठ जाती हैं उनसे अल्पसंख्यकों को परेशानी होती है उदाहरणार्थ कुछ स्थानों पर वक्फ सम्पत्तियों के अधिक्रमण और कब्रिस्तानों को लेकर विरोध हुए हैं और शिकायतें मिलीं। इन समस्याओं पर शीघ्र और संतोषजनक ढंग से कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए।

(15) अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याओं को सतत् आधार पर देखे जाने की जरूरत है, जिससे कि आशंकाओं को दूर किया जा सके और उचित व्यथाओं को दूर किया जा सके। इसमें सुविधा के लिए, अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।

Welfare of minorities

†*302. SHRIMATI KUM KUM RAI: Will the Minister of MINORITY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to implement a 15 Point Programme for the welfare of minorities;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) if so, the details thereof, and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI A.R. ANTULAY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of House.

(a) The Government has been implementing the Prime Minister's 15-Point Programme for the Welfare of Minorities from 1983. A copy enclosed as Statement (*See* below)

(b) The 15-Point Programme is based on a three-pronged approach *viz.* (i) prevention of communal tension and severe action in the event of communal riots (ii) special consideration to the minorities in employment under the Central and State Governments as well as public sector undertakings and (iii) other measures, such as, fair and adequate benefits under various development programmes.

The programme is implemented by the States/Union Territories and concerned Ministries/Departments of Govt. of India. Currently a new 15-Point Programme is under consideration, as was mentioned in the Address of the President of India to the Joint Session of Parliament.

(c) Does not arise.

Statement

Prime Minister's 15-Point Programme for Welfare of Minorities

Communal Riots

1. In the areas which have been identified as communally sensitive and riot prone, District and Police Officials of the highest known efficiency, impartiality and secular record must be posted. In such areas and even elsewhere, the prevention of communal tension should be one of the primary duties of DM and SP. Their performances in this regard should be an important factor in determining their promotion prospects.
2. Good work done in this regard by District and Police Officials should be rewarded.
3. Severe action should be taken against all those who incite communal tensions or take part in violence.

4. Special court or courts specifically earmarked to try communal offences should be set up so that offenders are brought to book speedily.

5. Victims of communal riots should be given immediate relief and provided prompt and adequate financial assistance for their rehabilitation.

6. Radio & TV must help in restoring confidence, communal harmony and peace in such affected areas.

7. It is unfortunate that certain sections of the Press sometimes indulge in tendentious reporting and publication of objectionable and inflammatory material which may incite communal tension. Editors, printers, publishers and other concerned will cooperate in finding a way to avoid publication of such material.

Recruitment to State and Central Services

8. In the recruitment of police personnel, State Governments should be advised to give special consideration to minorities. For this purpose, the composition of Selection Committees should be representative.

9. The Central Government should take similar action in the recruitment of personnel to the Central Police Forces.

10. Large scale employment opportunities are provided by the Railways, Nationalized Banks and Public Sector Enterprises. In these cases also the concerned departments should ensure that special consideration is given to recruitment from minority communities.

11. In Many areas recruitment is done through competitive examinations. Ofter minority groups have been handicapped in taking advantage of the educational system to compete on equal terms in such examinations. To help them to overcome these handicaps steps should be taken to encourage the starting of coaching classes in minority educational institutions to train persons to compete successfully in these examinations.

12. The acquisition of technical skills by those minorities who are today lagging behind would also help in national development. Arrangements

should be made to set up ITIs and polytechnics by Government or private agencies in predominantly minority areas to encourage admission in such institutions of adequate number of persons belonging to these communities.

Other measures

13. In various development programmes including the 20-Point Programme, care should be taken to see that minorities secure in a fair and adequate measure the benefits flowing therefrom. In the various committees which are set up to oversee the implementation of such programmes, members of these communities should be actively involved.

14. Apart from the above general issues there are various local problems which develop into needless irritants to minorities. For instance encroachment of wakf properties and on graveyards have led to protests and grievances in some places. Suitable steps should be taken to deal with such problems on an expeditious and satisfactory basis.

15. Problems relating to minorities need to be attended to on a continuing basis so that apprehensions are allayed and genuine grievances redressed. To facilitate this, a special cell will be created in the Ministry of Home Affairs to deal with matters relating to minorities.

डा॰ कुमकुम राय: सर, अपने उत्तर में सरकार ने प्रधान मंत्री के पन्द्रह-सूत्री कार्यक्रम को 1983 से कार्यान्वित करते रहने की बात कही है, साथ ही संसद में महामहिम राष्ट्रपति जी के संयुक्त सत्र के अभिभाषण में एक नये पंन्द्रह-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने पर विचार की बात भी कही गई है।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यह नया पन्द्रह-सूत्री कार्यक्रम क्या है और इसका ब्यौरा क्या है? यह पिछले पन्द्रह-सूत्री कार्यक्रम से किन अर्थों में भिन्न है और क्या सरकार अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए संविधान की 341वीं धारा में संशोधन का विचार भी रखती है?

श्री ए॰आर॰ अन्तुले: माननीय महोदय, जैसाकि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी का यह नया पन्द्रह-सूत्री कार्यक्रम रिकास्ट हो रहा है। राष्ट्रपति जी ने जो इसे सिलसिले में जोइंट सेशन में इसका ऐलान किया है, अभी वह रि-कास्ट हो रहा है। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी रि-कास्ट हो जाएगा। तो पुराने और पहले के अंदर क्या फर्क है, वह अपने आप नजर आएगा।

डा॰ कुमकुम राय: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या सर्वशिक्षा अभियान में मुस्लिम छात्र-छात्राओं की उर्दू माध्यम से शिक्षा देने और उर्दू में पाठ्य पुस्तकें देने का विचार कर रही है या अभी वर्तमान में पुस्तकें उपलब्ध करा रही है?

श्री ए॰आर॰ अन्तुले: मान्यवर, चूंकि यह शिक्षा का सवाल है, अभी तक मॉयनोरिटी एफेयर्स मिनिस्ट्री में नहीं आया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका सही जवाब एच॰आर॰डी॰ मिनिस्ट्री ही दे सकता है।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, my question is regarding reservation to minorities. Reservation to minorities in educational institutes is nothing new to this country. In the year, 1927, the first Justice Party Ministry, in the Madras Presidency, brought out a communal G.O. giving reservation to minorities. I would like to know whether the Union Government is considering any proposal to bring forward a Central Legislation to give reservation to minorities.

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: माननीय सभापति महोदय, यह भी एच॰आर॰डी॰ से संबंधित है, इसलिए उनको ही जवाब देना चाहिए। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं

Reach of DD-India

*308. SHRIMATI KAMLA MANHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleasd to state:

(a) whether after the recent visit of Prime Minister to USA, UK and the Middle East, Doordarshan has conducted a study on the impact and reach of Doordarshan India (DD-India) channel;

(b) whether it is a fact that tenders were invited for conducting feasibility study for these countries and companies have been short listed;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether despite PMO's instructions and tenders specification, letter of offer has been issued only for Middle East; and

(e) if so, what are the reasons for not issuing letter of offer for USA and UK and steps being taken to include them as prescribed in the tender document?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI): (a) No, Sir.

(b) to (e) Prasar Bharati have informed that the matter of awarding a contract under Doordarshan's tender for conducting a study on the reach